भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4233
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

पालना योजना

4233. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में पालना योजना के तहत 'क्रेच' में कार्यरत महिलाओं की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान, राज्य-वार, विशेष रूप से उक्त राज्य में, वर्ष-वार, उक्त क्रेचों में कार्यरत महिलाओं के काम के घंटे कितने हैं ;

(ग) क्या उक्त क्रेचों में काम करने वाली महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी मिलती है और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार, राज्यवार विशेषकर उक्त राज्य का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त शिशुगृहों में काम करने वाली महिलाएं मातृत्व लाभ की हकदार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या उक्त क्रेचों में काम करने वाली महिलाओं को कोई अन्य कल्याणकारी लाभ प्रदान किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त योजना के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(**क) :** इस मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2022 से मिशन शक्ति के अंतर्गत पालना योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष की आयु तक) को सुरक्षित और संरक्षित

वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा प्रदान करना है। पालना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो बेहतर दैनिक निगरानी और योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करती है। इसे केंद्र और राज्य सरकारों तथा विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 के वित्त पोषण अनुपात के साथ लागू किया जाता है, सिवाय पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के, जहां अनुपात 90:10 है। बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाता है।

पालना के अंतर्गत 2 प्रकार के क्रेच हैं: स्टैंडअलोन क्रेच और आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी)। मिशन शक्ति के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टैंडअलोन क्रेच के लिए एक क्रेच कार्यकर्ता और एक क्रेच सहायक का प्रावधान है। इसी तरह, मिशन शक्ति दिशा-निर्देशों में एडब्ल्यूसीसी के लिए पहले से मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका के अलावा, एक क्रेच सहायक और एक क्रेच कार्यकर्ता का प्रावधान किया गया है। क्रेच कार्यकर्ताओं और क्रेच सहायकों का केंद्रीय स्तर पर लैंगिक आधार पर अलग-अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ख) : मिशन शक्ति के दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर क्रेच का समय लचीला होना चाहिए। क्रेच महीने में 26 दिन और क्षेत्र की अधिकांश माताओं के कार्य शेड्यूल के अनुसार प्रतिदिन साढ़े सात (7.5) घंटे खुले रहेंगे। एडब्ल्यूसीसी के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं में यह भी कहा गया है कि क्रेच का समय स्थानीय आवश्यकता के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा तय किया जा सकता है, हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समय कामकाजी माताओं के लिए सुविधाजनक हो।

(**ग) :** पालना के अंतर्गत क्रेच कार्यकर्ता और क्रेच सहायक मानद कर्मचारी हैं। क्रेच कार्यकर्ता या क्रेच सहायक को वेतन या मजदूरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, योजना के दिशा-निर्देशों में क्रेच कार्यकर्ता और क्रेच सहायक को मानदेय देने का प्रावधान है। मानदेय की राशि क्रेच की श्रेणी के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रेच की श्रेणी	**मासिक मानदेय की राशि**	
	क्रेच कार्यकर्ता	**क्रेच सहायक**
स्टैंड अलोन क्रेच	6,500 रुपये	3,250 रुपये
आंगनवाड़ी-सह -क्रेच	5,500 रुपये	3,000 रुपये

पालना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे संबंधित राज्य/ संघ राज्य सरकार के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार क्रेच कार्यकर्ता/क्रेच सहायक को अपने स्वयं के कोष से अतिरिक्त मानदेय प्रदान कर सकते हैं। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से कोई रोक या प्रतिबंध नहीं है।

(**घ) से (ड.) :** मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 प्रत्येक महिला को पहले दो बच्चों के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करता है। इसके अलावा, अधिनियम में स्तनपान कराने वाली और दत्तक माताओं के लिए 12 सप्ताह का सवेतन अवकाश और गर्भपात या गर्भावस्था के चिकित्सा समापन के तुरंत बाद गर्भपात के लिए 6 सप्ताह का सवेतन अवकाश भी प्रदान किया गया है। इस अधिनियम में महिला की मृत्यु के मामले में नियोक्ता द्वारा महिला के नामित व्यक्ति को और ऐसा कोई नामित व्यक्ति न होने की स्थिति में उसके कानूनी प्रतिनिधि को मातृत्व लाभ का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

(**च) :** पालना योजना के प्रारम्भ से अब तक इसके अंतर्गत आवंटित और जारी की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
आवंटित राशि	35	85	150.11
जारी निधि	4.68	64.15	43.66*

** 19.12.2024 तक*

*****